FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

L.D. Case No.- 198/2023

Pramod Thakur & Ors ....Appellants.

Versus

The State of Bihar & Anr ….. Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.8.2025		

आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, बायसी, पूर्णिया द्वारा BLDR Case No.-31/2022-23 में दिनांक-24.8.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/ थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
बायसी	हरेरामपुर/354	51	1131	7 डी0

दिनांक-31.7.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी का कहना है कि खतियान के अनुसार उनके पिता प्रश्नगत खेसरा 8डी. जमीन के सिकमी रैयत हैं। जबकि विपक्षी का दावा है कि उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन 3 विभिन्न विक्रय केवाला के माध्यम से खतियानी रैयत के वारिसानों से क्रय किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों- वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि विपक्षी द्वारा 3 विभिन्न निबंधित विक्रय केवाला के माध्यम से प्रश्नगत जमीन खतियानी रैयत के वारिसानों से क्रय किया गया है। जिसमें से प्रश्नगत जमीन के कुल रकवा 7 डी0 में से 5.5 डी0 जमीन पर विपक्षी का दखल-कब्जा है तथा शेष 1.5 डी0 जमीन पर अपीलार्थी का अवैध दखल-कब्जा है। अपीलार्थी की ओर से सिकमी रैयक के वारिसान होने के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर किया जा रहा दावा विधिमान्य नहीं है। सुनवाई में इस संबंध में उनकी ओर से कोई विधिमान्य आदेश उपस्थापित नहीं किया जा सका है। साथ ही सुनवाई में विपक्षी के अभिकथन को Disprove करने के लिये कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

18/8/2025.

आयुक्त,

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

लेखापित एवं शुद्धित।

18/8/2025.

आयुक्त,

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय

पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया